



"ISO 9001-2015 certified college"

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय निपनिया रीवा (म.प्र.)  
Govt. Autonomous Ayurved College & Hospital, Nipaniya Rewa (M.P.)  
Tel. No. 07662-299160 Email-govtayucollegerewa@gmail.com  
Website-www.gacrewa.org.in



क्र./स्था/2024/ 3232

रीवा, दिनांक 02/08/24

## संसोधित विज्ञापित (वॉक इन इनटरव्यू)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय निपनिया रीवा मध्यप्रदेश के विज्ञापित क्रमांक/स्थापना/24/3158 रीवा दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर फार्म भरने की अंतिम तिथि 12.08.2024 दोपहर 02. बजे तक एवं वॉक इन इनटरव्यू की तिथि 13.08.2024 प्रातः 10.30 बजे के संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर भी अपने आवेदन पत्र में जानकारी प्रस्तुत करें:-

1. आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में मध्यप्रदेश में किसी भी जिले में जीवित पंजियन होना आवश्यक है। तत्संबंधि प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिव्यांगता के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण पत्र गृह जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड/शासन द्वारा मान्य संस्था, द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का जीवित प्रमाण ही मान्य होगा।
3. उपरोक्त पदों के आवेदन हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश शासन का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष न्यूनतम 18 वर्ष अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार मध्यप्रदेश शासन के अनुरूप आयु सीमा में छूट रहेगी।
5. सामान्य प्रशासन नियमानुसार ज्ञापन अवधि F-8-3/2013 आ-प्रा/1 भोपाल दिनांक 17.07.2014 के अनुसार चयनोत्परांत निशक्ता प्रमाण पत्रों में परिक्षण संबंधित जिले में जिला बोर्ड से कराया जावेगा। जाँच में निशक्ता प्रमाणित होने पर ही उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
6. पूर्व में सेवारत/अन्य विभाग में कार्यरत नियुक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. सक्षमताकार के समय सभी मूल दस्तावेत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा निर्धारित की गई नियुक्त आयु के पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा।
9. जिन आवेदकों के दो से अधिक जीवित संतान है एवं उनमें से 01 संतान का जन्म 26.जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. समस्त प्रमाण पत्रों के फोटो कॉपी जो चाही गई है उसे स्वयं प्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।
11. वांछित आवश्यक प्रमाण पत्रों के आभाव में जो आवेदन पत्र प्राप्त होने चाहिए यदि नहीं है तो आवेदन पत्र विचार नहीं किया जायेगा।
12. प्रस्तुत किए गये प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की नकली या कूट रचित तरीके से आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये जाते हैं तथा जाँच में दोष सिद्ध होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
13. शासन के वर्तमान प्रचलित नियम के अनुसार परिवीक्षा अवधि 03 की होगी तदानुसार शासन के द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुरूप ही वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
14. शासन के निर्देशानुसार या किसी भी प्रकार के विवाद की स्थित में प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. उपरोक्त जानकारी महाविद्यालय के Website-www.gacrewa.org.in में संसोधित जानकारी प्रदर्शित हो रही है, उस पर भी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. दीपक कुलश्रेष्ठ)

प्राचार्य  
Principal

Govt. Autonomous Ayurveda College  
Rewa (M.P.)